

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 06.02.2018

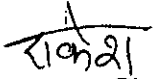
प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/36
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00035
CICOM/R/2017/01280

अपीलकर्ता : श्री प्रशांत कुमार, पुत्र - श्री बृजलाल सिंह,
वरबाला मंझरा, पो0 - मँसिया (कटघर),
जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244001.

निर्णय की तारीख: 06.02.2018

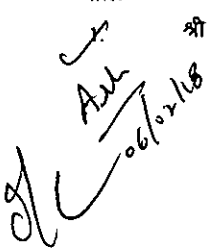
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.10.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित

1. अपीलकर्ता द्वारा अपने गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें मांगी गई सूचना नहीं दी गई है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 26.10.2017 को वांछित सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्रति अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न भी किया है। श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन करें।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि : श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


06/02/18

